

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
निरंजनपुर, माजरा, सहारनपुर रोड, निकट होटल सुंदर पैलेस, सेवलाकलां, देहरादून।
फोन सँ 0 0135-2974148.

Email- ao-comtaxtrib@uk.gov.in

आदेशांक: वा0क0अ0 / पीठ गठन/प्र-68(6) / 2026 दिनांक: देहरादून: दिनांक 18 अगस्त, 2026.

—:: संशोधन आदेश::—

इस अधिकरण के आदेशांक वाकअधि0/पीठ गठन/प्र-68(6)/304/2026, दिनांकित 17-7-2026 द्वारा इस अधिकरण की हल्द्वानी पीठ में माह अगस्त, 2026 हेतु दिनांक 25 व 27 अगस्त, 2026 को दो सदस्यीय/खंड पीठ का गठन किया गया है। 'उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005' की धारा 54(8) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपरिहार्य कारणों से उक्त अवधि में से दि0 25-8-2026 को गठित दो सदस्यीय/खंड पीठ निरस्त की जाती है और उसके स्थान पर दिनांक 29-8-2026 को दो सदस्यीय/खंड पीठ गठित की जाती है तथा आदेश किया जाता है कि दि0 25 अगस्त को सुनवाई हेतु नियत सभी अपीलें दि0 29-8-2026 को नियत कर दी जाय।

2- उक्त आदेश दिनांकित 17-7-2026 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0/18-8-2026

(गुरुबख्श सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सँ0 वा0क0अ0/पीठ गठन/प्र-68(6)/ 351(7)/2026, दिनांक : देहरादून :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मा0 सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग, राज्य सचिवालय, देहरादून।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।
- 3- आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर विभाग, हल्द्वानी।
- 5- मुन्सरिम, वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी पीठ को इस निर्देश के साथ कि पक्षकारों को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- 6- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कर अधिवक्ता संघ, हल्द्वानी।
- 7- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,



(अजय कुमार)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।